



३१/।।।

दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : १३७ /०५/७६ /एक /२०१६-१७
सेवा में,

दिनांक : ४ अप्रैल 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद-सिद्धार्थनगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक आफ बॉडी	IFSC Code		
31780100002085	BARBOTETARI	217.298	(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	वस्ती / वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	सिद्धार्थनगर	मलिन बस्ती-८३ बजट	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मो० इन्दिरानगर में श्यामसुन्दर के घर से कब्रिस्तान तक, विकास के घर से मनोज के घर तक और सीताराम के घर, से अनूप व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	15.502
2	सिद्धार्थनगर	मलिन बस्ती-८३ बजट	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मो० विजयनगर में रघुवर प्रसाद के घर से शेषराम, रंजीत, प्रह्लाद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.150
3	सिद्धार्थनगर	मलिन बस्ती-८३ बजट	न०प० उसका बाजार	मो० लोहिया नगर में नौगढ़-गोरखपुर पिच रोड रमेश व सतीश के मकान तक एवं पुलिया के पास (विजली के खाम्मे) से बाबूलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.147
4	सिद्धार्थनगर	मलिन बस्ती-८३ बजट	न०प० उसका बाजार	मो० लोहिया नगर में पिच रोड नरसिंह के मकान से सोनमती बालिका इण्टर कालेज तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.533
5	सिद्धार्थनगर	मलिन बस्ती-८३ बजट	न०प० उसका बाजार	मो०-इन्दिरानगर में सच्च दरबार से राजू, उर्फन्द्र एवं श्यामदेव व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	24.362
6	सिद्धार्थनगर	मलिन बस्ती-८३ बजट	न०प० उसका बाजार	मो०-इन्दिरानगर में उदयराज के घर से रामीलाल के घर तक पारस से रामजोत, सीताराम भिंश, हरिद्वार रामदेव तक ए० सहदेव के घर से प्रमोद के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	12.563
7	सिद्धार्थनगर	मलिन बस्ती-८३ बजट	न०प० उसका बाजार	मो०-इन्दिरानगर में सहदेव के घर से पिच रोड तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	9.725
8	सिद्धार्थनगर	मलिन बस्ती-८३ बजट	न०प० उसका बाजार	वार्ड नं०-०४ कृष्णानगर में शैलेश (हरिजन) के घर से बन्धे तक नाला निर्माण कार्य।	11.162
9	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मो० रामनगर में ज्ञानवन्द्र के मकान से मलखाने, रमाशंकर सन्तराम, ओमप्रकाश व राजेन्द्र के घर होते हुये खानी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण	15.238



30/2

दूरभाष— 2286709
2286710
नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

क्र. सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
				कार्य।	
10	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 सिद्धार्थनगर	मो0 रामनगर में प्रभुदयाल के मकान से अचैवर के मकान होते हुये कब्रिस्तान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.402
11	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 सिद्धार्थनगर	मो0 सरोजनी नगर में राखी के मकान से गंगाराम, अशर्फी, मंगू, शिखरपूजन, रघुवर के मकान होते हुए जरशद के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	13.056
12	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 सिद्धार्थनगर	मो0 राहुल नगर में डा० फैजल के मकान से यादव वर्मा, इसहाक, आजाद, अब्दुल बारी के मकान होते हुये तनवीर अली मास्ट के बाउडीवाल तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.542
13	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं० उसका बाजार	वार्ड नं० 01 राजेन्द्र नगर में टीकुल के घर से कृष्णा के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.508
14	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं० उसका बाजार	वार्ड नं० 1 राजेन्द्र नगर में उसका सोहास रोड से लाल बहादुर के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.167
15	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं० उसका बाजार	वार्ड 01 राजेन्द्र नगर में दिलीप के घर से जमुना के घर होते हुये सुमेश्वर के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.176
16	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं० उसका बाजार	वार्ड नं० 01 राजेन्द्र नगर में रुआब अली के घर से मंगू के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.888
17	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं० उसका बाजार	वार्ड नं० 02 में इंदिरा नगर में पिच रोड से झब्बर के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.177
	योग				217.298

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ०२०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित प्रावाली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभियान मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।



२४३

दूरभाष— 2286709
2286710

नव छेतना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख—रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही रथानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016—17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व रथानीय करों की स्त्रोत पर कठौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की रिथ्ति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्ट्रेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल ब्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, सूडा।।
- अधिकारी अभियन्ता—सूडा
- कम्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

(लाल ब्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक